झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

चतुर्थ-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 21.12.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्रीमती गीता कोड़ा स0वि0स0	पश्चिम सिंहभूम जिला अन्तर्गत मनोहर पुर प्रखण्ड के ग्राम धानापाली में कोयल नदी पर धानापाली से उड़ीसा को जोड़ने वाली उच्चस्तरीय पूल का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में बनाया गया था। परन्तु ये उच्च स्तरीय पूल का बीच के पीलर धँस जाने से दो पहिया एवं चार पहिया वाहन अवागमन बाधीत हो गया है। यह पूल पुनः बनाने के लिए विभाग से निवेदन के बावजूद अब तक पूल को ठीक नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त क्षतिग्रस्त पूल को यथाशीघ्र जनहित में बनाने के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूँ।	ग्रामीण विकास
02-	सर्वश्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, डॉ0 अनिल मुरमू एवं प्रो0 स्टीफन मराण्डी स0वि0स0	दिनांक- 23.12.2011 को इसी सदन में तत्कालीन सरकार की ओर से यह घोषणा किया गया था कि स्थायी सम्बद्ध डिग्री महाविद्यालयों को जांच करा कर अंगीभूत एवं घाटानुदान किया जाएगा, जिसे वित्तीय वर्ष 2012-13 से लागू किया जाएगा। सरकार ने इस कार्य हेतु दो बार उच्चस्तरीय जांच समिति बनाई। जांच समिति जांच प्रतिवेदन उच्च शिक्षा विभाग को समर्पित कर चुका है, किन्तु सरकार एवं उच्च शिक्षा विभाग के उदासीन रवैया के कारण तत्कालीन सरकार द्वारा उपरोक्त घोषणा का कार्यान्वयन नहीं कर सका है। स्मरणीय है कि दिनांक- 23.12.2011 के विधान सभा के कार्यवाही के दौरान सभी दलों के विधायकों ने स्थायी सम्बद्ध डिग्री कॉलेजों को अंगीभूत करने हेतु	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		अपनी प्रतिबद्धता विधान सभा के पटल पर रखा था। खेद है कि सरकार द्वारा की गई घोषणा अभी तक असत्य साबित हुई है। साथ ही, सदन की गरिमा पर भी ठेस पहुची है। अतः मैं सरकार एवं सदन से दिनांक- 23.12.2011 की घोषणा के अनुसार स्थायी सम्बद्ध डिग्री कॉलेजों को अंगीभूत एवं घाटानुदान करने की प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
03-	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी एवं श्री नागेन्द्र महतो स0वि0स0	वर्त्तमान में झारखण्ड के लोग अपने घरों में जलावन हेतु जो कोयला उपयोग में ला रहें है, वह कोयला किस माध्यम से उनके रसोई में पहुँच रहा है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी एवं समाज के विभिन्न तबके के लोग अपना रसोई कोयले से पकाने का कार्य कर रहें है। झारखण्ड में कुछ प्रतिशत लोग ही रसोई गैस का इस्तेमाल करते है। सरकार यह बतावे कि जो लोग भी अभी कोयला का उपयोग कर रहें है वह कोयला कहाँ से और कैसे क्रय किया जा रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस जनहित व राज्यहित के मामले पर आकृष्ट करना चाहूँगा।	खान एवं भूतत्व
04-	श्री शिवशंकर उराँव एवं श्री लक्ष्मण टुडू स0वि0स0	झारखण्ड सरकार सरकारी विज्ञापन और सूचनाओं प्रकाशन राज्य में प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाले समाचार पत्रों और टी.वी. चैनल कम्पनियों के माध्यम का सहारा लेती है और प्रतिवर्ष राज्य कोष में से ऐसी समाचार माध्यमों और कम्पनियों को करोड़ो रूपैयों की राशि भुगतान करती है। परन्तु ऐसी सभी कम्पनियाँ अपने कर्मियों को समुचित वेतन-भत्ता और सुविधाएँ मुहैया नहीं कराती हैं। देश भर में कार्यरत ऐसे मीडिया समूहों के कर्मियों, पत्रकारों आदि की बुनियादी समस्याओं के समाधान का उपाय सुझाने के लिए केन्द्र सरकार ने **मजिठिया आयोग** का गठन किया था। जिसने पत्रकारों तथा मीडिया कर्मियों के हित में अनुशंसाएँ दी है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत समाचार पत्र समूहों और टी0वी0 चैनल कम्पनियों में कार्यरत ऐसे पत्रकारों और कर्मियों के हित में **मजिठिया आयोग की सिफारिशों को राज्य में लागू कराने के लिए गंभीर एवं त्वरित कदम उठाए।** इस ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	सूचना एवं जनसम्पर्क

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
05-	श्रीमती मेनका सरदार स0वि0स0	पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत पोटका प्रखण्ड के जूड़ी पंचायत में "ग्रामीण चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र" का नया भवन निर्मित है, जहाँ महात्मा गाँधी मेमोरियल अस्पताल (एम0जी0एम0) में अध्ययनरत चिकित्सकों को वहाँ रहकर ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हुए प्रशिक्षण देना है। परन्तु, अध्ययनरत चिकित्सक कभी-कभी जाकर खानापूर्ति करते हैं और प्रायः वहाँ चिकित्सक अनुपलब्ध ही रहते है। अतः मैं अविलम्ब उक्त प्रशिक्षण केन्द्र में अध्ययनरत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे चिकित्सकों एवं चिकित्सक को नियमित रूप से रहने तथा ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करती हूँ।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

राँची,
दिनांक- 21 दिसम्बर, 2015 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-81/2015-3127/वि0 स0, राँची, दिनांक- 19/12/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ग्रामीण विकास विभाग/ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/ खान एवं भूतत्व विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
19/12/15
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-81/2015-3127/वि0 स0, राँची, दिनांक- 19/12/15

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
19/12/15
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

19.12.15